न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम, हमीरपुर।
उपस्थित- कु० अफशाँ (एच०जे०एस०) आई०डी०सं०-UP6164

UPHM010016452026
जमानत प्रार्थना पत्र सं०-776/2026

सन्तोष उर्फ सन्तोष कुमार पुत्र प्रेमचन्द्र उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम स्यावरी, थाना राठ, जिला हमीरपुर (उ०प्र०)। **.....आवेदक/अभियुक्त।**

बनाम

उ०प्र० राज्य **.....विरुद्ध पक्ष।**

मु०अ०सं०-153/2026
धारा-333, 115(2),351(3), 352, 64(1) बी०एन०एस०
थाना-राठ, **जिला**- हमीरपुर

23.06.2026

1. आवेदक/अभियुक्त **सन्तोष उर्फ सन्तोष कुमार** की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०-153/2026 धारा-333, 115(2),351(3),352, 64(1) बी० एन० एस०, थाना-राठ, जिला-हमीरपुर के प्रकरण में दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त प्रकरण में कारागार में निरूद्ध हैं।

2. आवेदक/अभियुक्त के पैरोकार बलवान द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन नहीं है, न ही निरस्त हुआ है।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा/पीड़िता द्वारा दिनांक 05.05.2026 को समय 14.46 बजे इस आशय की तहरीर देकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है कि दिनांक 03/04.05.2026 को समय करीब रात्रि 12 बजे अपने घर पर सो रही थी। उसका पति बृजेन्द्र सिंह, खूबचन्द्र प्रधान निवासी ग्राम स्यावरी के खेत पर कछवारा लगाये है तथा वहीं रहकर रखवाली करता है तथा उसके बच्चे भी शादी में गये थे। घर पर वह अकेली थी। रात्रि लगभग 12 बजे सन्तोष पुत्र प्रेमचन्द्र निवासी ग्राम स्यावरी उसके घर पर आया और उसके दरवाजा खटखटाने लगा। उसने सोचा कि बच्चे शादी से वापस आये हैं तो उसने दरवाजे खोल दिये। उसके दरवाजे खुलते ही सन्तोष शराब के नशे में जबरन घर के अन्दर घुस आया तथा उसका हाथ पकड़कर छेड़खानी करने लगा। वह चिल्लाई तो उक्त सन्तोष ने उसे लात घूसों से मारा पीटा। उसी समय उसकी देवरानी पूनम आ गयी तो सन्तोष गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। वह डर के कारण तत्काल थाने रिपोर्ट करने नहीं आ सकी। वह

आज रिपोर्ट कराने आई है। रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

4. अभियुक्त/आवेदक की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में यह आधार लिया गया कि वह पूर्णतया निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसे झूंठा रंजिशन गांवदारी की वजह से फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट सलाह मशविरा लेने के बाद लिखायी गयी है तथा विलम्ब का कोई कारण नहीं दर्शाया गया है। वादिया द्वारा अपनी तहरीर में बच्चों को शादी में जाने की बात कही है, वह शादी वादिया के मकान के ठीक सामने है, यदि शादी है तो भीड़ भी होगी और रोशनी भी रही होगी। इस स्थिति में घटना कारित होना असम्भव प्रतीत होता है। प्रार्थी के भाई बलवान सिंह की पत्नी विमलेश वर्तमान में ग्राम प्रधान है एवं इसके पहले वादिया मुकदमा के ससुर फूलचन्द्र ग्राम प्रधान रह चुके हैं, इससे राजनैतिक विद्वेष की भावना से यह झूंठा आरोप लगा कर मुकदमा दर्ज कराया है। प्रार्थी दिनांक 27.05.2026 से जेल में निरुद्ध है, जेल में बन्द रहने से सख्त नुकसान व हकतल्फी हो रही है। उक्त आधारों पर जमानत पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

5. विद्वान ए०डी०जी०सी० (क्रि०) द्वारा जमानत का विरोध किया गया है तथा कथन किया है कि अभियुक्त द्वारा रात्रि में पीड़िता के घर में घुसकर उसके साथ छेड़खानी व बलात्कार करने तथा गाली गलौज व मारपीट करने का अपराध कारित किया गया है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

6. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुना तथा पत्रावली व केशडायरी का अवलोकन किया।

7. पत्रावली/केसडायरी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पीड़िता द्वारा अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त सन्तोष द्वारा शराब के नशे में जबरन उसके घर में घुसकर गाली गलौज, मारपीट व छेड़खानी करने के कथन अंकित किये गये हैं तथा उसकी देवरानी पूनम के आने पर अभियुक्त द्वारा गाली गलौज करते हुए भाग जाने के कथन किये गये हैं। पीड़िता द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 बी.एन.एस.एस. में अभियुक्त द्वारा उसके परिवार वालों की अनुपस्थिति में घटना के समय, दिनांक व स्थान पर उसके घर में घुसकर हाथ पकड़कर छेड़खानी करने एवं कपड़े फाड़ देने व लात घूसों से मारपीट करने के कथन किये गये हैं। चश्मदीद साक्षी श्रीमती पूनम जो कि पीड़िता की भाभी है, के द्वारा भी अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 बी.एन.एस.एस. में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा उसकी जेठानी के साथ छेड़खानी करने व मारपीट करने के तथ्य की पुष्टि की गयी है, परन्तु पीड़िता द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 183 बी.एन.एस.एस. में उसके साथ बलात्कार व मारपीट किये जाने के कथन किये गये हैं। जैसा कि केसडायरी के अवलोकन से विदित है तथा प्रार्थी/अभियुक्त की और से तर्क दिया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट व पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 180 बी.एन.एस.एस. व चश्मदीद साक्षी के बयान में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा छेड़खानी करने व मारपीट करने के कथन किये गये हैं, जबकि पीड़िता द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 183 बी.एन.एस.एस. में बलात्कार करने का आरोप लगाया गया है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट, बयान अन्तर्गत धारा 180 बी.एन.एस.एस., चश्मदीद गवाह के बयान एवं मजिस्ट्रेट के समक्ष हुए बयानों में भिन्नता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा तर्क दिया गया है कि पीड़िता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट किये जाने से लेकर बयान अन्तर्गत धारा 180

बी.एन.एस.एस. व बयान अन्तर्गत धारा 183 बी.एन.एस.एस. के स्तर तक पीड़िता द्वारा विचार विमर्श करके प्रकरण को गंभीर बनाने के उद्देश्य से जानबूझकर बयानों में इम्प्रूवमेन्ट किये गये हैं। पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में कोई जाहिरा चोट नहीं पायी गयी है और न ही बलात्कार के संबंध में कोई राय व्यक्त की गयी है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण दोष पर मत व्यक्त किये, आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **सन्तोष उर्फ सन्तोष कुमार** द्वारा मु०अ०सं०–153/2026 धारा–333, 115(2),351(3),352, 64(1) बी० एन० एस०, थाना–राठ, जिला–हमीरपुर में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र सं०–776/2026 स्वीकार किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंकन 75,000/– रूपये (पचहत्तर हजार रूपये मात्र) का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इतनी समान धनराशि की दो जमानतें सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि में दाखिल करने पर उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये।

1– यह कि आवेदक/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा तथा साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा।

2– यह कि धारा 351 बी०एन०एस०एस० के बयान अंकित किये जाने के समय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा और न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

3– यह कि आवेदक/अभियुक्त अपने पता में परिवर्तन करने की स्थिति में न्यायालय को सूचित करेगा।

शर्तो का उल्ल्घन करने पर संबंधित न्यायालय को जमानत निरस्त करने का अवसर उपलब्ध रहेगा।

दिनांक–23.06.2026

(कु० अफशाँ)
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
हमीरपुर ।
(आई.डी. UP6164)

Digitally signed by AFSHAN
Date: 2026.06.23 14:00:46 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court